

## न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 58/2022-23

केश का प्रकार - सी० एन० टी० एकट 46

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
	<p>आभिलेख उपस्थापित।</p> <p>अंचल अधिकारी बसिया का जॉच प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त। आवेदक को उक्त अनुमति वाद से संबंधित कागजात एवं अपना उपस्थिति पत्र दाखिल करने हतु नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदक के द्वारा उक्त अनुमति वाद के संबंध में न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं एवं जवाब दाखिल किया गया है कि आवेदक उक्त भूमि में किसी प्रकार का अभी रुची नहीं ले रहा है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा दाखिल अनुमति आवेदन में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उक्त अनुमति वाद में अंचल अधिकारी, बसिया से भूमि का जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त रहे एवं आवेदक के द्वारा नोटिस तामिला के बावजूद अब तक उक्त वाद में किसी प्रकार का अभिरुची नहीं लेने के कारण उक्त अनुमति वाद को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशाधित।</p> <p>०५०६।२१</p> <p>भूमि सुधार उप-समाहर्ता बसिया (गुमला)।</p> <p>०५०८।२१</p> <p>भूमि सुधार उप-समाहर्ता बसिया (गुमला)।</p>	